(भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

फा.सं. 16/13/2018-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

-----

18 जनवरी, 2019

नई दिल्ली, दिनांक --------------------------

28 पौष, 1940 (शक)

अधिसूचना

यत: दिनांक 22.01.2014 की अधिसूचना के द्वारा श्री के. वीरा ब्रह्माजी राव को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था:

और यत: श्री के. वीरा ब्रह्माजी राव को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (4) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 03.07.2018 के पत्र के तहत कारण बताओ नोटिस देकर उनसे यह पूछा गया था कि क्यों न उन्हें कार्यपालक निदेशक के पद पर रहते हुए पंजाब नैशनल बैंक के कार्यकरण पर समुचित नियंत्रण रखने में असफल रहने के लिए पद से हटा दिया जाए, जिसके कारण बैंक की ब्रैडी हाऊस शाखा, मुम्बई में एसडब्ल्यूआईएफटी (स्विफ्ट) का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी की गई, जिसका कई वर्षों तक पता नहीं चल सका, जिससे बड़ी राशि की धोखाधड़ी हुई:

और यत: पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड से भी उक्त उप-पैरा (4) के उपबंधों के संदर्भ में परामर्श किया गया था:

और यत: कारण बताओ नोटिस के जवाब में श्री के. वीरा ब्रह्माजी राव के उत्तर और पंजाब नैशनल बैंक के बोर्ड की टिप्पणियों सहित इस मामले पर विचार करते हुए और पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर श्री के. वीरा ब्रह्माजी राव के बने रहने पर विचार पंजाब नैशनल बैंक में उनके उक्त पद (शीर्ष पबंधन) की असफलता के संदर्भ में करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे संतुष्ट है कि उन्हें उक्त पद से हटाना पंजाब नैशनल बैंक के हित में समयोचित है:

अत: अब बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (4) के उपबंधों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे संतुष्ट होने पर कि श्री के. वीरा ब्रह्माजी राव को पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद से हटाना पंजाब नैशनल बैंक के हित में समयोचित है, उन्हें, एतद्द्वारा, इस पद से तत्काल हटाती है।

यह उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में के. वी. ब्रह्माजी राव बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका (सी) 14014/2018 के परिणाम के अध्यधीन है।

संजय

(संजय कुमार)
निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोड, नई दिल्ली।